न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2021

1. देशराज पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. गिरधारी पुत्र खींया जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
2. गणपत पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
4. परमेश्वरी पुत्री गिरधारी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा हाल निवासी कलाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा। :–**प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं0 23/24 के खसरा सं0 72 की 3.9710है0, व रोही किकराली के खाता सं0 26/25 के खसरा सं0 84 की 4.8440है0 बारानी व रोही घोटडाखालसा के खाता सं0 14/16 के खसरा सं0 156 की 3.5280है0, खसरा सं0 158 की 5.2100है0, खसरा सं0 182/158 की 1.2650है0 कुल 10.0030है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी के बजाऐ वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देशराज प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी प्रतिवादी सं0 2 गणपत, प्रतिवादी सं0 3 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहा (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आर0ए0एस

वाद सं0 : 90/2021

1. देशराज पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. गिरधारी पुत्र खींया जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
2. गणपत पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा।
4. परमेश्वरी पुत्री गिरधारी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी घोटडा खालसा त0 भादरा हाल निवासी कलाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा। :–**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग: वादी

वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 05/8/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं0 23/24 के खसरा सं0 72 की 3.9710है0, व रोही किकराली के खाता सं0 26/25 के खसरा सं0 84 की 4.8440है0 बारानी व रोही घोटडाखालसा के खाता सं0 14/16 के खसरा सं0 156 की 3.5280है0, खसरा सं0 158 की 5.2100है0, खसरा सं0 182/158 की 1.2650है0 कुल 10.0030है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा खींया की खातेदारी हुआ करती थी। खींया के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 देशराज पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी घोटडाखालसा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रामपुरा खाता सं0 23/24 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही किकराली खाता सं0 26/25 संवत 2077–80 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही घोटडा खालसा खाता सं0 14/16 संवत 2074–77 प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही रामपुरा प्रदर्श 4, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही किकराली प्रदर्श 5, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2012

Scanned with CamScanner

डाखालसा प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 7 प्रदर्शित

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही किकराली व घोटडाखालसा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिलिपि जमाबंदी रोही रामपुरा खाता सं0 23/24 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, रोही किकराली खाता सं0 26/25 संवत 2077–80 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही खालसा खाता सं0 14/16 संवत 2074–77 प्रदर्श 3, दादालाई जमाबंदी भू प्रबंध रोही रामपुरा प्रदर्श 4, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही किकराली प्रदर्श 5, जमाबंदी प्रबंध विभाग संवत 2012 रोही घोटडाखालसा प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार गिरधारी के तीन देशराज, गणपत, ओमप्रकाश व एक पुत्री परमेश्वरी तथा इनके अलावा कोई वारिस होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल कार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया ता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं0 23/24 के सरा सं0 72 की 3.9710है0, व रोही किकराली के खाता सं0 26/25 के खसरा सं0 की 4.8440है0 बारानी व रोही घोटडाखालसा के खाता सं0 14/16 के खसरा सं0 6 की 3.5280है0, खसरा सं0 158 की 5.2100है0, खसरा सं0 182/158 की 1.2650है0 ल 10.0030है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी के नाम राजस्व कार्ड में दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी के वजाऐ वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देशराज प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी प्रतिवादी सं0 2 गणपत, प्रतिवादी सं0 3 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/8/15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner